

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव
उपरोक्त शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभियान,
उपरोक्त लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : २० मार्च, २०१८

विषय: शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में "आसरा योजना"(आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 से जनपद-बुलन्दशहर की निकाय-बुगरासी, बी०बी० नगर एवं जहाँगीराबाद की 03 परियोजनाओं हेतु मूल्यवृद्धि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4197/64/10/आसरा/मूल्यवृद्धि/समिति/2017-18(वाल्य०-3), दिनांक 29.01.2018, पत्र संख्या-4196/64/10/आसरा/मूल्यवृद्धि/समिति/2017-18(वाल्य०-3), दिनांक 29.01.2018 एवं पत्र संख्या-4194/64/10/आसरा/मूल्यवृद्धि/समिति/2017-18(वाल्य०-3), दिनांक 29.01.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में "आसरा योजना"(आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-37 से जनपद-बुलन्दशहर की निकाय-बुगरासी की 48 आवासों के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के 37 आवासों, निकाय-बी०बी० नगर की 72 आवासों के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के 56 आवासों एवं निकाय-जहाँगीराबाद की 36 आवासों के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के 28 आवासों की 03 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-1705/69-1-13-17(आसरा-37)/2013 दिनांक 18 नवम्बर, 2013 द्वारा क्रमशः रु० 109.52 लाख, रु० 165.76 लाख व रु० 82.88 लाख अर्थात् कुल रु० 358.16 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में परियोजनाओं की लागत का 50 प्रतिशत, क्रमशः रु० 54.76 लाख, रु० 82.88 लाख एवं रु० 41.44 लाख अर्थात् कुल रु० 179.08 लाख की धनराशि तथा शासनादेश संख्या-660/2015/1419/69-1-15-17(आसरा-37)/2013, दिनांक 13 जुलाई, 2015 द्वारा द्वितीय/अंतिम किशत के रूप में उक्त तीनों परियोजनाओं की लागत का 50 प्रतिशत क्रमशः रु० 54.76 लाख, रु० 82.88 लाख एवं रु० 41.44 लाख अर्थात् कुल रु० 179.08 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी। अतएव उक्त तीनों परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजनाओं की लागत में हुई मूल्यवृद्धि के दृष्टिगत क्रमशः रु० 153.77 लाख, रु० 233.17 लाख एवं रु० 113.48 लाख अर्थात् कुल रु० 500.42 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष मूल्यवृद्धि के रूप में संलग्न तालिका के स्तम्भ-9 में अंकित देय अन्तर की धनराशि क्रमशः रु० 44.25, रु० 67.41 एवं रु० 30.60 अर्थात् कुल रु० 142.26 लाख (रुपये एक करोड़ बयालीस लाख छब्बीस हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

प्र०, म्रोदा० | बोधवर्ण शौलि-

1. उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी)दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी। पात्र लाभार्थियों के नियमानुसार चयन का पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी/अध्यक्ष, इडा तथा निदेशक, सूडा को होगा।
2. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों के आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय सम्बन्ध समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत परियोजना में मानकीकृत क्षेत्रफल, मानचित्र एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा। प्रायोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाने, कार्यों के आकार में बढ़ि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमत्य नहीं होगा।
6. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्विरायति/पुनरायति न हो इसे सूडा/इडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन-सीट आवासों के भू-स्थानियों के भू-स्थानित्य का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
8. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
9. परियोजना को इसी पुनरीक्षित अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराकर जनपयोगी बनाया जाय। परियोजना का भविष्य में कोई और पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। वर्क इन के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की लागत का समस्त उत्तरदायित्व सूडा/इडा/कार्यदायी संस्था का होगा।
10. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात राज्य नगरीय विकास अभियान व सम्बन्धित इडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवारों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि विन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित इडा/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।

11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव भवत्वा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), ३०प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर डाकघर/डिपाजिट खाते व पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।
14. बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। जनपद स्तर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी होने की दशा में जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपद के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
15. अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर सम्बन्धित इडा के माध्यम से कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के ८० प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय। कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के स्वीकृति आदेश में इस आशय का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
16. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जायेगा तथा धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे भी उपलब्ध कराये जायेंगे।
17. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
18. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एम०ओ०य०) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित इडा को निर्देशित किया जायेगा।
19. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी ३१ मार्च, २०१८ तक व्यय हो सके।
20. जिताधिकारी/अध्यक्ष, इडा द्वारा कार्य की गुणवत्ता जांचने/सन्तुष्ट होने के पश्चात ही अंतिम भुगतान किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।
21. निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "४२१६-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-०२-शहरी आवास-८००-अन्य व्यय-०३-आसरा योजना (आवासीय भवन)-२४-यृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-8/2017/यौ-1-1190/दस-2017-231/2017
दिनांक 03.08.2017 एवं समय-समय पर जारी आदेशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

अन्वयित
19/1/A
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या- /2018/222(1)/69-1-18 तिथिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०,२० सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मुख्य कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, ज़िला नगरीय विकास अभिकरण, मुरादाबाद।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
6. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

२१/८/२०१५

आज्ञा से,

अधिकारी
(अधिकारी)

अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-७१३/2018/222/69-1-18-17(आसरा-३७)/2013, दिनांक 20 मार्च, 2018 का
संलग्नक।

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद/ निकाय का नाम	मूल परियोजना की कुल आयासीय लागत	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या	मूल परियोजना लागत के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थियों की कुल परियोजना लागत	पीएफएडी मूल्यांकित लागत के आधार पर सामान्य लाभार्थियों की वर्ग के लाभार्थियों के आवासों हेतु पुनरीक्षित परियोजना की मूल आयासीय लागत	द्वारा हेतु प्रथम व द्वितीय फिरत के रूप में कुल अवमुक्त धनराशि	अवस्थापना सुविधाओं सहित सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु अवस्थापना सुविधा सहित मूल्यवृद्धि के रूप में स्वीकृत हेतु प्रस्तावित देय अन्तर की कुल धनराशि (6- 7)
1	2	3	4	5	6	7	9
1	बुलन्दशहर/ दुगरसी-48 आयास	142.08	37	109.52	153.77	109.52	442.5
2	बुलन्दशहर/ बी०बी०लगर -72 आयास	213.12	56	165.76	233.17	165.76	67.41
3	बुलन्दशहर/ जहांगीरा- बाट लगर- 36 आयास	106.56	28	82.88	113.48	82.88	30.60
योग							142.26

(रुपये एक करोड़ बयालीस लाख छब्बीस हजार मात्र)


(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।